मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-25.10.2013 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

---

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहुत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. **कृषि विभाग** में अवमानना वाद के कुल 30 (तीस) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 77 (सतहत्तर) मामले लम्बित हैं। विश्वविद्यालय एवं विभाग से संबंधित अवमाननावाद के मामला को अभियुक्ति कॉलम में अलग-अलग दर्शाने एवं शीघ्र कारवाई करने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा दिया गया।

3. **सहकारिता विभाग** में अवमानना वाद के 48 (अड़तालीस) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 236 (दो सौ छत्तीस) मामले लम्बित हैं। प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा सूचना दी गयी कि अवमानना वाद के सभी मामलों में कारण पृच्छा तैयार कर सरकारी अधिवक्ता को उपलब्ध करा दिया गया है एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के पिछले माह का 68 (अड़सठ) मामलों में Proforma Party के रूप में शीघ्र प्रति शपथ-पत्र दाखिल कर दी जाएगी।

4. **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** में अवमानना वाद के 61 (इकसठ) एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 893 (आठ सौ तिरानवे) मामले लम्बित हैं। अवमानना वाद के मामले में प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अपने को केवल Proforma Party नहीं माने। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा समीक्षा के क्रम में विभाग की जबावदेही को देखते हुए प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संबंधित जिला पदाधिकारी के साथ Video Conferencing के माध्यम से सभी अवमानना वाद से संबंधित मामलों की समीक्षा करने एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के मामले में त्वरित कारवाई करने का निदेश दिया गया।

5. **जल संसाधन विभाग** में 30 (तीस) अवमानना वाद एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 395 (तीन सौ पनचानवे) मामले लम्बित हैं। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा अवमानना वाद के सभी लम्बित मामलों का समीक्षा कर शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल कर कारवाई करने का निदेश दिया गया ।

6. **श्रम संसाधन विभाग** में 3 (तीन) अवमानना वाद एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 31 (इकतीस) मामले लम्बित है। मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 में लम्बित मामलों में शीघ्र तथ्य विवरणी सरकारी अधिवक्ता को भेजकर प्रति शपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

7. **स्वास्थ्य विभाग** में 335 (तीन सौ पैंतीस) अवमानना वाद एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के 1353 (एक हजार तीन सौ तिरपन) मामले लम्बित हैं। अवमानना वादों में शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का मुख्य सचिव, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया गया।

8. अन्य संबंधित सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि लम्बित सभी मामलों में 4 सप्ताह के अन्दर शीघ्रताशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर कर अगली बैठक में इसकी सूचना से अवगत करायेंगे। समीक्षात्मक बैठक की तिथि से तीन दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन विधि विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में निदेशित किया गया था लेकिन अधिकांश विभाग द्वारा बैठक के दिन या एक दिन पूर्व विधि विभाग को अधूरा प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित समय एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन नहीं मिलने पर मुख्य सचिव द्वारा खेद प्रकट किया गया तथा सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में बैठक के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से विधि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधियों को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अत: अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

21.11.13

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/8465 जे0 पटना, दिनांक-27.11.13

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/8465 जे0 पटना, दिनांक-27.11.13

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।